तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16/6/25	पत्रा. पेश हुई बहु. उक्त प्रार्थना पत्र 212 अदालत स्वीकार किया जाकर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 30.05-24 को ताफैसला मुकदमा कंफर्म किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रा. फैसल शुमार हो, नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 72/2024
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 16.06.2025

1. छीतर सिंह पुत्र पूनी जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. ग्यासी पुत्र पूनी जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बादाम पुत्र रामहेत जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. गंजन पुत्र निहाल जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. भागवती पत्नी हरवीर जाति जाट निवासी हंतरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री रामकिशन पूनियां एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री जगवीर सिंह एड. (अप्रार्थीगण की ओर से)

—::निर्णय::— **प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.**

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि खाता नंबर 199 के आराजी खसरा नंबर 2445 रकबा 0.02, 2447 रकबा 0.03, 2446 रकबा 0.03 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई में स्थित है। व आराजी खसरा नंबर 2449 रकबा 0.28 व 2450 रकबा 0.26 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी संवत संलग्न है।
3. यह कि आराजी खसरा नंबर 2450 गैरसायल संख्या 01 गंजन व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 08 राजेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। तथा आराजी खसरा नंबर 2449 भागवती पत्नी हरवीर गैरसायला संख्या 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। खसरा नंबरान 2445 व 2447 सायल संख्या 1 व 2, तथा खसरा नंबर 2445 व 2446, 2447 सायलान

16/6/25

की खातेदारी काश्तकार की आराजी कृषि भूमि है जस्ट इसके चिपटैमा खसरा नंबरान 2449 व 2450 जो कि गैरसायलान संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज है। गैरसायलान का आराजी खसरा नंबर 2445 व 2446 व 2447 से कोई संबंध सरोकार नहीं है। खसरा नंबरान 2445 व 2446 आम सडक से लगे हुए है जबकि गैरसायलान लठ्ठ के बल पर सायलान के खसरा नंबरान 2445 व 2447 में जबरदस्ती लठ्ठ के बल पर सायलान के खसरा नंबरान 2445 व 2446, 2447 में अतिक्रमण कर नींव खोदकर पक्का निर्माण करने पर आमादा है जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में गैरसायलानों को अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है कि वे सायलान के खसरा नंबरान में किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करें।

4. यह कि दिनांक 28.05.24 को गैरसायलान ने हमारे खातेदारी के खसरा नंबरान 2445, 2447 वाके हंतरा में पूरी तरह से अतिक्रमण कर नींव खोदना प्रारंभ कर दिया मना किया तो मारने पीटने पर आमादा हो गए। ऐसी स्थिति में गैरसायलान को अस्थ्यी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वे सायलान के आराजी खसरा नंबरान 2445, 2446, 2447 में कोई अतिक्रमण न करें नींव आदि खोदकर पक्का निर्माण न करे तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री जगवीर सिंह एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 2 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि प्रार्थीगण के विवादित आराजी खसरा नंबर 2445, 2446, 2447 सडक से लगे हुए हैं परन्तु प्रार्थीगण द्वारा तथ्य छिपाते हुए यह अंकन नहीं किया गया है कि उक्त खसरा नंबर किस रोड से सटे हुए हैं क्योंकि हम अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाव दावा के साथ संलग्न आई.आर. सी 73/1980 के चार्ट केबिल संख्या 3 रिकन डेड लैंड बिट फोर डिफरेंस क्लेजेस ऑफ रोड सीरियल नंबर 2 एम.डी.आर. प्लेन एण्ड रोलिंग ट्रेंटियन ऑपन ऐरिया नोरमल रेंज मध्य रोड से 25 से 30 मीटर चौडाई दूरी तय की गई है। यदि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में खसरा नंबर 2446, 2447, 2446 के तहत जो प्रार्थना पत्र न्यायालय में दाखिल किया है और रोड लगा होना का दावा अंकित किया है उक्त रोड की सीमा की माप की जावे तो नोरमल वे में 25 से 30 मीटर में उक्त दूरी हम अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 2460, 2449 के मध्य में आकर बैठती है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र झूंठे तथ्यों पर पेश किया है तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को कोई धमकी नहीं दी गई है बल्कि प्रार्थीगण के खसरा नंबर 2445, 2446, 2447 की भूमि कोई हम अप्रार्थीगण की ओर

16/9/25

शेष ही रही है। और आज भी प्रार्थीगण रिकॉर्ड के अनुसार रोड में अवाप्त भूमि के बाद आज भी मौके पर काबिज है। चूंकि रोड में अवाप्त भूमि जाने के बाद आज तक किसी भी समय पर रोडों की चौडाई बढती है हम अप्रार्थीगण की ओर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है।अतः प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–7 वाके ग्राम हंतरा पेश किए गए। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 आरटीए नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि विवादित आराजी मद संख्या 2 की आराजीयात 2445, 2446, 2447 वाके ग्राम हंतरा स्थित है जो प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नंबर है। तथा खसरा नंबर 2449 व 2450 वाके ग्राम हंतरा अप्रार्थीगण के खसरा नंबर है जो कि प्रार्थीगण के खसरा नंबर के पीछे स्थित हैं। प्रार्थी के खसरा नंबर सडक से लगे हुए हैं तथा कुछ हिस्सा सडक में चला गया है। बाकि शेष भाग पर मेरा कब्जा है। अप्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थीगण मेरे खसरे पर कब्जा करना चाहते हैं।

अप्रार्थी अधिवक्ता के बहस के दौरान कथन रहे कि प्रार्थीगण द्वारा कोई पैमाईश रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और न ही तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट संलग्न है। वादीगण के खसरा नंबर 2445, 2446, 2447 सडक से लगे हुए हैं। नेशनल हाईवे से 25–30 मीटर की सीमा में रोड सीमा आंकी गई है। खसरा नंबर 2445, 2446, 2447 पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है एवं ना ही पैमाईश करवाई गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि–

1. <u>प्रथमदृष्ट्या केस</u>– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए के तहत पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश किया जिसमें वर्णित हाल आराजी खसरा नंबर 2445 रकबा 0.02, 2447 रकबा 0.03, 2446 रकबा 0.03 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई में स्थित है। जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण संख्या 1, 2 तथा 3 के नाम खातेदारी इन्द्राज हैं। तथा आराजी खसरा नंबर 2449 रकबा 0.28 व 2450 रकबा 0.26 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई स्थित है जो कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी इन्द्राज हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के खसरा नंबर 2445, 2446, 2447 वाके ग्राम हंतरा जो कि सडक से लगे हुए हैं तथा सडक से 25–30 मीटर की दूर तक सडक सीमा तय मानकों के अनुसार होती है जबकि उक्त दूरी में अप्रार्थी के

16/6/25

खसरा नंबर 2540, 2449 वाके ग्राम हंतरा का मध्य भाग आता है तथा प्रार्थीगण रिकॉर्ड अनुसार सडक में स्वयं की आराजी की अवाप्ति के पश्चात् भी मौके पर काबिज है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2075–78 में आराजी खसरा संख्या 2445, 2446, 2447 वाके ग्राम हंतरा प्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं यदि प्रार्थीगण के उक्त खसरा नंबर सडक हेतु अवाप्त किए गए हैं तो राजस्व रिकॉर्ड में भी उसका उल्लेख किया जाता जबकि जमाबदी में उक्त खसरा नंबरों पर अवाप्त की गई भूमि के संबंध में अथवा किसी भी सडक के नाम कोई इन्द्राजात नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि वर्तमान में प्रार्थीगण के उक्त विवादित खसरा नंबर मौके पर नहीं है एवं अप्रार्थीगण के खसरा नंबरों पर काबिज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार योग्य है। प्राईमाफेसी केस से प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

2. <u>सुविधा का सतुलन</u> – चूंकि मामला प्रथमदृष्ट्या प्रार्थीगण के हक में साबित होता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है।
3. <u>अपूरनीय क्षति</u> – अगर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थीगण को उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित रहना पड़ सकता है जो उसके लिए अपूरनीय क्षति होगी। एवं उनके खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरनीय क्षति भी प्रार्थी के हक तक साबित होती है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी हाल आराजी खसरा नंबर 2445 रकबा 0.02, 2447 रकबा 0.03, 2446 रकबा 0.03 वाके ग्राम हंतरा तहसील नदबई में स्थित है। उक्त विवादित आराजी पर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 30.05.2024 को ताफैसला कंफर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.6.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।

16/6/25

गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर